राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1499/2014/जोधपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन–द्वितीय, आबूरोड। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स ओसवाल प्रोडक्ट्स.,
बासनी, जोधपुर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी.पी.ओझा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से
अनुपस्थित। .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 09/08/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, जोधपुर–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 22/आरवैट/जेयूसी/13–14 में पारित आदेश दिनांक 28.03.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, आबूरोड (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.03.2013 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(6) तहत् आरोपित शास्ति राशि रूपये 1,01,692/– अपास्त किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 19.03.2013 को वाहन संख्या आरजे–21–जीए–0765 को मावल(आबूरोड) पर चैक किया गया। सशक्त अधिकारी द्वारा मांगने पर वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा वाहन में लदे माल प्लास्टिक रोल एवं परचून के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत किये। प्रस्तुत दस्तावेजों के साथ संलग्न वैट–47 अवधिपार हो चुका था, इसे कर निर्धारण अधिकारी ने धारा 76(2) का उल्लंघन मानकर प्रत्यर्थी व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा नोटिस के जवाब के साथ एक नया वैट–47 फार्म पेश किया गया, जिससे असंतुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी शास्ति राशि 1,01,692/– का आरोपण कर दिया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार करते हुए आरोपित मांग राशि को अपास्त कर दिया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलार्थी विभाग की एकपक्षीय बहस सुनी गई, प्रत्यर्थी विभाग की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के साथ संलग्न वैट–47 अवधिपार हो चुका था,

लगातार.....2

एवं कारण बताओ नोटिस के जवाब के साथ उनके द्वारा नया वैट–47 प्रस्तुत किया गया, जो कि उनकी बाद की सोच पर आधारित था। आगे उन्होने अपने कथन में कहा कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. अपीलार्थी विभाग की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा वाहन में लदे माल प्लास्टिक रोल एवं परचून के समर्थन में दस्तावेजों के साथ संलग्न वैट–47 अवधिपार हो चुका था, एवं बाद में उनके द्वारा नया वैट–47 प्रस्तुत कर दिया गया। अवधिपार का वैट–47 संलग्न हो जाना एक तकनीकी त्रुटि है, अतः उस पर शास्ति का आरोपण किया जाना न्यायोचित नहीं है। इस संबंध में **माननीय कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टांत वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, बांसवाडा बनाम मैसर्स हिन्दुस्तान यूनिलिवर लि. अजमेर (2013) 94 टैक्स अपडेट 36** में अवधिपार घोषणा प्ररूप की प्रस्तुति को एक तकनीकी अनियमितता माना है। उद्रित किया है। अतः इस आधार पर शास्ति का आरोपण अनुचित एवं अविधिक है। उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त के आधार पर विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है

6. परिणामस्वरूप राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

9/8/17

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य